


उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या 2325/VII-2-15/66-एम0एस0एम0ई0/2013
देहरादून, दिनांक: 19 दिसम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप


शासन की अधिसूचना संख्या:-30/XXXVI(3)/2013/62(1)/2012 दिनांक 28.01.2013 द्वारा जारी "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम-2012" की धारा-10 तथा शासन की अधिसूचना संख्या:-752/VII-2-15/66-एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 18.08.2015 द्वारा जारी "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली-2015" के नियम-8 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा उद्यमियों को जारी की जाने वाली अनुज्ञा/अनापत्ति/अनुज्ञापन हेतु समय-सीमा संलग्न प्रारूपानुसार निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
संलग्नक-अनुसूची-1, भाग क, ख, ग, घ एवं अनुसूची-2(क)।

भूदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या: (1)/VII-2-15/66-एम0एस0एम0ई0/2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 मुख्य प्रधान सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
- 2 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4 मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
- 5 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 6 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपालपानी, देहरादून।
- 8 निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 9 निजी सचिव-मा0 लघु उद्योग मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 10 समस्त महाप्रबंधक/प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक उद्योग।
- 11 निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव।

अनुसूची-1
(नियम 6 देखिए)

भाग-क

नोडल एजेंसी के लिए समय सीमा

क्रम सं०	संबंधित एजेंसी	समय सीमा
1.	विनिधानकर्ता से प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही तथा सक्षम प्राधिकारी को सैद्धान्तिक सहमति/स्वीकृति तथा प्राधिकृत समिति को सैद्धान्तिक सहमति हेतु आवेदन अद्योसित करना	1 दिन
2.	प्राधिकृत समिति की बैठक आयोजित करना	15 दिन
3.	रियायतों, छूटों या शिथिलीकरणों या अनुकूलित पैकेजों की मंजूरी के लिए आवेदन/अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी/संबंधित विभागों या प्राधिकारी से पूछे जाने वाले अभिमत/टिप्पणी हेतु पत्र प्रेषित करना	1 दिन
4.	प्राधिकृत समिति को टिप्पणियाँ प्रस्तुत करना	आगामी बैठक
5.	डीमंड स्वीकृति का प्रमाण पत्र जारी करना	प्राधिकृत समिति की बैठक में विनिश्चय होने के 5 दिन के भीतर

भाग- ख

मंत्री परिषद को सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए राज्य प्राधिकृत समिति के लिए समय सीमा

क्रम सं०	कार्य/सेवा	समय सीमा (कार्य दिवस के भीतर)
1.	मंत्री परिषद को रियायती, छूटों या शिथिलीकरणों या अनुकूलित पैकेजों की मंजूरी के लिए आवेदन/प्रार्थना पर सिफारिशें प्रस्तुत करना	30 दिन

भाग- ग

विभागों के लिए समय-सीमा

क्रम सं०	कार्य/सेवा	समय सीमा (कार्य दिवस के भीतर)
1.	किसी उद्यम की स्थापना हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञाएँ/अनुज्ञापन/स्वीकृतियाँ	15 दिन
2.	किसी उद्यम की संचालन हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञाएँ/अनुज्ञापन/स्वीकृतियाँ	30 दिन
3.	रियायती, छूटों या शिथिलीकरणों या अनुकूलित पैकेजों की मंजूरी के लिए आवेदन/अनुरोध पर नोडल एजेंसी द्वारा पूछे गए अभिमत/टिप्पणी प्रस्तुत करना	15 दिन
4.	आवेदक से अतिरिक्त सूचना मांगे जाने हेतु	5 दिन

नोट:- यदि किसी विभाग में किन्हीं केन्द्रीय विधि के अधीन न्यूनतम समय-सीमा निर्धारित है तो उन पर यह समय-सीमा लागू नहीं होगी।

भाग- घ

यदि सक्षम प्राधिकारी विहित समय सीमा में कोई विनिश्चय लेने में विफल रहता है तो राज्य प्राधिकृत समिति/जिला प्राधिकृत समिति के लिए अनुज्ञाओं/अनुज्ञापनों के लिए आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकतम समय सीमा 15 दिन होगी। जिसकी गणना सक्षम प्राधिकारी हेतु नियत समय-सीमा के समाप्त होने के दिन से की जाएगी।

अनुसूची-2(क)

(नियम 6 देखिए)

उद्यम स्थापना से पूर्व

प्राधिकृत समिति के निर्णय के पश्चात् विभिन्न अनुज्ञाओं/अनुज्ञापनों के लिए समय सीमा

क्रम सं०	संबंधित विभाग/संगठन		अनुज्ञा/अनुज्ञापन	समय सीमा
1.	उद्योग विभाग	(क)	बृहद्/मिनी औद्योगिक आस्थानों में प्लॉट/रोड आवंटन (उपलब्ध होने पर)	15 दिन
		(ख)	आवेदक को सूचना भेजना	15 दिन
		(ग)	प्लॉट/रोड आवंटन के पश्चात् आवेदक द्वारा अग्रिम जमा	15 दिन
		(घ)	10 प्रतिशत जमा के पश्चात् लीज डीड पंजीकरण	15 दिन
2.	पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	(क)	1. हरित श्रेणी नोट-अन्य श्रेणी के उद्योगों/प्रस्तावों के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी लागू अधिनियमों/प्राधिकारों की सीमा के अंतर्गत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	15 दिन
3.	अग्नि रासन	(क)	एन.ओ.सी०	15 दिन
4.	वाणिज्य कर विभाग	(क)	मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के अधीन पंजीकरण	15 दिन
		(ख)	केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम के अधीन पंजीकरण	15 दिन
5.	तकनीकी शिक्षा विभाग	(क)	राज्य में आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, एम.बी.ए., एम.सी.ए. संस्थाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार के विचार/अनाथित प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन
6.	उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि.	(क)	निर्माण कार्यों हेतु विद्युत भार की स्वीकृति	15 दिन
7.	सिडकुल	(क)	औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों का आवंटन(उपलब्ध होने पर)	15 दिन
		(ख)	आवंटित प्लॉट का लीज डीड पंजीकरण	15 दिन
		(ग)	मॉर्टगेज परमिशन	15 दिन
		(घ)	इकाई कार्यालय स्तर पर- आवंटिती द्वारा भूखण्ड के विक्रय की दस्त में अनुज्ञा का अंतरण	15 दिन

8.	सीडा (SIDA)	(क)	इकाई कार्यालय स्तर पर फीकटी बिल्डिंग निर्माण की अनुज्ञा	15 दिन
		(ख)	ड्राईंग एपुवल (अग्नि शमन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि द्वारा जारी अनापत्तियाँ संलग्न करने पर)	15 दिन
9.	कृषि/कृषि विपणन विभाग	(क)	उर्वरक- निम्नलिखित के लिए अनुज्ञा <u>प्राधिकार/ विनियमन</u> प्रमाणपत्र क. उर्वरक- 100 प्रतिशत जल विलय/सूक्ष्म कण विभ्रण ख. जैव उर्वरक ग. कार्बोनिक उर्वरक- कम्पोस्ट/घर्मी कम्पोस्ट (1) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 9 के अधीन विक्रय प्राधिकार (2) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 15 के अधीन विनियमन प्रमाणपत्र	15 दिन
10.	राजस्व विभाग	(क)	उद्यम स्थापना हेतु भूमि कय की कयानुमति	15 दिन
		(ख)	143 के तहत भूमि संपरिवर्तन	15 दिन
11.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	(क)	औषधि अनुज्ञापति	15 दिन
		(1)	धोक	15 दिन
		(2)	खुदरा	15 दिन
12.	आयकारी	(क)	आयकारी नीति के तहत लाईसेंस तथा पंजीकरण	15 दिन
13.	वन विभाग	(क)	वनाधारित उद्यमों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र	15 दिन
14.	जिला प्रशासन	(क)	एच.एस.डी., विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण की अनुमति	15 दिन
15.	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	(क)	भूदा परीक्षण एवं अनापत्ति	15 दिन
16.	जल संस्थान	(क)	जल संयोजन	15 दिन
17.	उद्यम विभाग	(क)	फलदार पेड़ काटने की अनुमति	15 दिन
18.	शहरी विकास	(क)	मैप अपुवल	15 दिन

अनुसूची-2(ख)

संचालन हेतु समय-सीमा

क्रम सं०	संबंधित विभाग / संगठन			अनुज्ञा/अनुज्ञापन	समय सीमा
1.	उद्योग विभाग	(क)		उद्योग आधार	30 दिन
2.	पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	(क)	1.	हरित श्रेणी नोट-अन्य श्रेणी के उद्योगों/प्रस्तावों के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी लागू अधिनियमों/प्रक्रियाओं की सीमा के अंतर्गत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	30 दिन
3.	अग्नि शमन	(क)		संचालन हेतु एन.ओ.सी०	30 दिन
		(ख)			30 दिन
4.	श्रम और नियोजन विभाग कारखाना और बायलर निरीक्षणालय	(क)		कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की दृष्टि से परिसंकटमय उद्योगों के लिए स्थल अनुज्ञापन	30 दिन
		(ख)		कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन कारखाना अभिव्यास योजना का अनुमोदन 1) हरित श्रेणी 2) 2-सी.टी. श्रेणी 3) एम.ए.एच.श्रेणी	30 दिन
		(ग)		फील्ड कार्यालय द्वारा कारखाना चलाने के लिए जारी की जाने वाली अनुज्ञापित 1) हरित श्रेणी 2) 2-सी.टी. श्रेणी 3) एम.ए.एच. श्रेणी	30 दिन
		(घ)		मुख्य बायलर निरीक्षक द्वारा बायलर का रजिस्ट्रीकरण	30 दिन
			(1)	अन्तरिम आदेश 500 M ³ हीटिंग सरफेस से ग्यून बायलर 500 M ³ हीटिंग सरफेस से अधिक बायलर	30 दिन
			(2)	अन्तिम आदेश 500 M ³ हीटिंग सरफेस से ग्यून बायलर 500 M ³ हीटिंग सरफेस से अधिक बायलर	30 दिन

		(घ)	अन्य	
	श्रम विभाग	(क)	दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण	30 दिन
		(ख)	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अधीन अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण	30 दिन
		(ग)	बोडी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 के अधीन अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण	30 दिन
		(घ)	टैका श्रम (विनियम और उत्पादन) अधिनियम 1971 के अधीन	30 दिन
		(1)	प्रमुख नियोजक अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण	30 दिन
		(2)	टैका श्रमिकों के नियोजन के लिए टैकेदार की अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना	30 दिन
		(3)	औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946 के अधीन 50 से अधिक श्रमिक रखने वाले अधिष्ठानों की अनुज्ञा	30 दिन
		(घ)	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के अधीन अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण	30 दिन
5.	वाणिज्य कर विभाग	(क)	विलासिता कर में पंजीकरण	30 दिन
6.	उत्तराखण्ड कार्पोरेशन लि.	घावर (क)	स्थायी विद्युत भार की स्वीकृति	30 दिन
7.	सिडकुल	(क)		30 दिन
		(ख)		30 दिन
		(ग)		30 दिन
8.	सीडा (SIDA)	(क)	भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र	30 दिन
		(ख)		30 दिन
9.	कृषि/कृषि विपणन विभाग	(क)	उर्वरक- निम्नलिखित के लिए अनुज्ञा प्राधिकार/ विनिर्माण प्रमाणपत्र क. उर्वरक- 100 प्रतिशत जल विलय/सूक्ष्म कण मिश्रण ख. जैव उर्वरक ग. कार्बोनिक उर्वरक- कम्पोस्ट/दर्नी कम्पोस्ट	30 दिन

			(1) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 9 के अधीन विक्रय प्राधिकार	
			(2) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 15 के अधीन विनिर्माण प्रमाणपत्र	
		(ख)	अन्य	30 दिन
10.	उद्योग विभाग	(क)	फिटो-सेनेटी प्रमाणपत्र	30 दिन
		(ख)	अन्य	30 दिन
11.	राजस्व विभाग	(क)	143 के तहत भूमि संपरिवर्तन	30 दिन
12.	मिकिल्सा एव स्वास्थ्य विभाग	(क)	फूड सैफ्टी एक्ट 2006, अनुज्ञा	30 दिन
13.	भार एव माप	(क)	लाईसेंस	30 दिन
14.	वन विभाग	(क)	वनाधारित उद्यमों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र	30 दिन
		(ख)	अन्य	30 दिन
15.	जिला प्रशासन	(क)	सराय एक्ट में पंजीकरण	30 दिन
		(ख)	अन्य	30 दिन

नोट:- विभिन्न विभागों से संबंधित अन्य बिन्दु जो उपरोक्त सूची में अंकित नहीं है, के संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा समय-सीमा निर्धारित की जा सकेगी।